प्रेस नोट दिनांक-20.04.2025

थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कुल 106 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामदगी के साथ 09 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

◆बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 01 लाख रूपये है।

चन्दौली-
श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा शराब तस्करों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 20.04.2025 को रात्रि में परशुरामपुर सिकटिया शराब ठेका के पास बने कटरे में के अन्दर प्रवेश किये तो पुलिस टीम को देखकर उसमें बैठे व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार व पुलिस अभिरक्षा में लिए गयें अभियुक्तों के कब्जे से कुल 106 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 121/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ विवरण-पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि बिहार में शराब पर बन्दी है इसलिए हम लोग यहाँ से शराब खरीद कर बिहार में ले जाकर ऊँचें दामों पर बेचते हैं जिससे हमलोगो को काफी मुनाफा होता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-
1.चन्दन पुत्र स्व0 हरिनारायण प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम बाहरी बेगमपुर थाना बाइपास जिला पटना (बिहार)
2.अंकित कुमार पुत्र सुधीर सिंह उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम मनेर थाना मनेर जिला पटना
3.जीतू कुमार पुत्र हरवंश चौहान उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम जमिरा थाना आरा जिला भोजपुर (बिहार)
4.सतीश कुमार पुत्र स्व0 नवल चौधरी उम्र करीब 18 वर्ष नि0 ग्राम सिंगरियावा थाना शाहजहांपुर जिला पटना (बिहार)
5.शुभम कुमार पुत्र धूपन यादव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर थाना चांदी जिला भोजपुर (बिहार)
6.अभिषेक कुमार पुत्र सन्तोष सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पोक्ता थाना चांदी जिला भोजपुर (बिहार)
7.सुधीर कुमार पुत्र रघुवर पासवान उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम जमिरा थाना आरा मुफासी जिला भोजपुर (बिहार)
8.अखिलेशयादव पुत्र स्व0 शिवजी सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी बडीहा थाना संदेश जिला भोजपुर (बिहार)
9.विक्कि पुत्र विश्वनाथ उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम जेठली थाना नादी जिला पटना
10.01 बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1.मु.अ.सं. 121/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी विवरण-

1.नाजायज अंग्रेजी शराब कुल 106 लीटर जिसमें 8PM की 43 बोतल प्रत्येक की मात्रा 750 मिली 8PM की 99 बोतल प्रत्येक की मात्रा 375 मिली. मैकडावल की 10 बोतल प्रत्येक की मात्रा 375 मिली, रायल स्टेज की 8 बोतल प्रत्येक की मात्रा 750 मिली0 , रायल स्टेज की 44 बोतल प्रत्येक की मात्रा 375 मिली. , 8PM की 60 फूटी प्रत्येक की मात्रा 180 मिली. कुल 07 पिट्ठू बैग दो ट्राली बैग व एक बोरी मे भूसी मे भिन्न-2 कम्पनीयो की अंग्रेजी शराब

2.जामा तलाशी मे कुल 2700 /- रुपये चिटबन्दी किया हुआ

बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 01 लाख रूपये आंकी गयी है।

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 पंकज कुमार सिंह अलीनगर जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.का0 धीरेन्द्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

5.का0 शैलेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

6.हे0का0 वीरेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

◆थाना चन्दौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान गौवंशों की तस्करी कर रहे 02 तस्करों को किया गिरफ्तार।

◆02 मैजिक वाहन से 04 गोवंशों को किया गया बरामद

चंदौली- श्री मोहित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा परिक्षेत्र में अभियान चलाने हेतु जारी किये गये निर्देश के क्रम में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक, चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान अनंत चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 02 मैजिक वाहन से 04 गौवंश को बरामद किया गया है तथा तस्करी में संलिप्त 02 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 19.04.2025 को थाना चन्दौली के उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह इलिया मोड़ कस्बा चन्दौली में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली की 02 पिकप में गोवंश लादकर अलीनगर की तरफ से चन्दौली के रास्ते बिहार तस्करी किया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक चन्दौली के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा हाइवे मुख्य मार्ग आरती मील के सामने सड़क वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ ही देर बाद चन्दौली के तरफ से 2 पिकप तेज रफ्तार से आती हुई दिखायी दी। मुख्य सड़क का रास्ता अवरुद्ध करके वाहनों को रोक लिया गया। दोनो पिकप में सवार चालकों को समय- 21:00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनो मैजिक से दो-दो गोवंश बरामद किया गया। पहले टाटा मैजिक (UP65HT6947) के चालक की पहचान रोशन S/O नगीना प्रसाद नि० ग्रा-गंजखाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 20 वर्ष व दूसरे मैजिक (UP62T5120) के चालक की पहचान भरत सिंह S/O स्व० नन्दलाल सिंह नि०ग्रा० विसूफूर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 48 वर्ष के रूप में हुयी।

पूछताछ विवरण:-पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमलोगो की गाड़ी में गोवंश लदे हुए है। इन गोवंशो को करिया यादव ग्राम कैली थाना अलीनगर व विशाल यादव ग्राम बलुआ थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा लदवाकर बिहार भेजा जाता है। जिसे अच्छे दामो पर बेच कर जो पैसा प्राप्त होता है उसे हम चारो लोग मिकलकर बाटे लेते है। तलाशी के दौरान अभियुक्त रोशन से मोबाइल रेडमी व 700 रु0 बरामद हुआ तथा दूसरे अभियुक्त भरत के पास से एक मोबाइल रेडमी व कुल 1050 रुपया बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चंदौली पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0स0 84/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अघि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रोशन पुत्र नगीना प्रसाद नि0 गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 20 वर्ष

2- भरत सिंह पुत्र स्व0 नन्दलाल सिंह नि0 बिसुपुर थाना बलूआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 48 वर्ष

बरामदगी-

1.दो टाटा मैजिक वाहन सं0 क्रमशः (1) UP65HT6947

(2) UP62T5120

2.04 गोवंश (04 गाय)

गिरफ्तारी टीम

1.श्री राजेश कुमार सिंह प्र0नि0 चन्दौली ।

2.उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिह चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जिला चन्दौली ।

3.उ0नि0 श्री राजेश सिंह थाना व जिला चन्दौली ।

4.हे0का0 रविन्द्र कुमार यादव थाना व जिला चन्दौली ।

5.का0 मुकेश कुमार थाना व जिला चन्दौली ।

6.हो0गा0 रामनगीना।